(94)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.केम्प भोपाल

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक-

प्रस्तुति दिनांक निगरानी-0200/2019/हरदा/भू.राज.

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक .... रामाधार आ. सीताराम जाति गुर्जर निवासी गोपालपुरा तहसील खिरकिया जिला हरदा

श्री गुंजन कुमार राय अभि- द्वारा कैम्प भोपाल में प्रस्तुत / 29-1-19

बनाम

उत्तरवादी/अनावेदक .... मांगीलाल आ.पन्नालाल लोवंशी निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील खिरकिया जिला हरदा म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 –

Noted 26/2/19

पुनरीक्षणकर्ता आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्त न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगावाद के द्वारा अपने समक्ष लंबित राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 26/15-16 ग्राम गोपालपुरा में पारित आदेश दिनांक 30.3.17 के अनुसार तहसीलदार महोदय खिरकिया के द्वारा की जा रही कब्जा दिलाये जाने संबंधि अवैधानिक कार्यवाही से पीडित एवं दुखी होकर निम्न तथ्यो एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है -

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि उत्तरवादी के द्वारा अधिनस्त न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष एक अपील अधिनस्त न्यायालय श्रीमान अनुविभागीयअधिकारी महोदय खिरकिया के द्वाराअपने समक्ष लंबित अपील प्रकरण क्रमांक 70अ/3/14-15 में पारित आदेश दिनांक 26.6.15 के विरूद्व प्रस्तुत की गई थी.

2. यह कि अधिनस्त न्यायालय श्रीमान तहसीदार महोदय खिरकिया के द्वारा अपने समक्ष राजस्व प्रकरण क्रमांक 2-अ/70/ 9-10 में श्रीमान आयुक्त महोदय होशंगाबाद के द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 30.3.17 के पालन में मौके पर कब्जा दिलायेजाने की कार्यवाही करने हेतु इस पुननीक्षण कर्ता को सूचना पत्र दिये बिना अधिनस्त न्यायालय द्वारा मनमानी प्रक्रिया अपनाते हुए कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही विधिविरूद्व तरीके ये किये जाने के कारण तथा मौके पर पुनरीक्षण कर्ता की फसल बोई गई है जिसे नुकसान पहुचाने के उदेश्य से जो दूषित कार्यवाही की जा रही है इस कारण से निम्न आधारो पर यह पुननीक्षण याचिका प्रस्तुत है –

रामाधार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–200 / 2019 / हरदा / भू0रा0

रामाधार विरूद्ध मांगीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–02–2019	आवेदक अभिभाषक श्री गुंजन कुमार राय उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण कमांक 26 / अपील / 2015–16 में पारित अंतिम दिनांक 30–3–2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 29–1–2019 को प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को निगरानी प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) 26/2/19 सदस्य	